

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

यूपी0 पीडब्ल्यूडी के पत्रांक-3057/ENV-30/UPCRNDP/WBYC/21 दिनांक 11/12/2022 के अनुपालन में क्षेत्रीय वनाधिकारी श्रावस्ती रेंज को श्रावस्ती वन प्रभाग के लिखित आदेश पत्रांक-2631/2-6, दिनांक 19.04.2022 के अनुपालन में श्रावस्ती वन प्रभाग में बहराइच-गोण्डा रोड (SH-30) के द्वारा प्रभावित क्षेत्रफल के संरक्षित वन की 35.356 हे0 भूमि एवं प्रभावित वृक्षों के सीमांकन हेतु स्थल पर उपस्थित होकर वन विभाग एवं यूपी0 पीडब्ल्यूडी अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि जनपद श्रावस्ती में बहराइच-गोण्डा रोड के संरेखण के आधार पर श्रावस्ती वन प्रभाग के अंतर्गत संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है जिसका विवरण निम्नवत है:-

रोड संख्या	प्रारम्भ कि0मी0	अंतिम कि0मी0	प्रभावित होने वाले वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
बहराइच गोण्डा रोड (SH-30)	Km 15+40.20	Km 30+000	35.356	संरक्षित वन
योग-			35.356 हे0	

संरक्षित वन का विवरण एवं प्रभावित वृक्षों का विवरण की छायाप्रति संलग्न है।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि बहराइच गोण्डा रोड के संरेखण में वन भूमि की माँग न्यूनतम है, एवं वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

05/01/2023
प्रभागीय वनाधिकारी
श्रावस्ती वन प्रभाग
श्रावस्ती

S. D. e
Bhinga

(क्षेत्रीय वनाधिकारी श्रावस्ती)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
श्रावस्ती रेंज
श्रावस्ती